न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर०ए०एस०)

अपील संख्याः–117/2019/223 आर.टी.एक्ट (2019/00117)

1. श्रीमती राधा पत्नी स्व0 श्री नाग्या उर्फ नागूराम जाति भांबी निवासी मोतीपुरा, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर (मृतक) जरिए वारिस 1/1 शिवराज पुत्र श्री बालूराम जाति भांबी निवासी ग्राम दिलवाडा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर (दोहिता) जरिए मुख्तयारआम रामपाल पुत्र स्व0 श्री नाग्या उर्फ नागूराम जाति भांबी निवासी मोतीपुरा,तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
2. रामपाल पुत्र स्व0 श्री नाग्या उर्फ नागूराम जाति भांबी निवासी मोतीपुरा, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. गोपी पुत्र रामकरण जाति भांबी
2. श्रवण पुत्र रामकरण (मृतक) जरिए वारिसान
   2/1 श्रीमती लादी पत्नी स्व0 श्रवण
   2/2 राजू पुत्र श्रवण
   2/3 जसराज पुत्र श्रवण (मृतक) जरिए वारिसान
   2/3/1 श्रीमती बीना देवी पत्नी जसराज
   2/3/2 सुभम पुत्र जसराज नाबालिग जरिए संरक्षक माता वली श्रीमती बीना पत्नी जसराजसमस्त जाति भांबी निवासी मोतीपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
   2/4 श्रमती ममता पुत्री श्रवण पत्नी राजू समस्त जाति भांबी निवासी रामपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
3. पूसा पुत्र रामकरण (मृतक) जरिए वारिस
   3/1 श्रीमती मायादेवी पत्नी स्व0 पूसा
   3/2 ओमप्रकाश पुत्र स्व0 पूसा
   3/3 रवि पुत्र स्व0 पूसा नाबालिग जरिए संरक्षक माता श्रीमती माया
   3/4 रेखा पुत्री स्व0 पूसा
   3/5 संतरा पुत्री स्व0 पूसा
   3/6 ललिता पुत्री पूसा नाबालिग जरिए संरक्षक माता श्रीमती माया समस्त जाति भांबी निवासी मोतीपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर।
5. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, पी.आई.यू अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2004 उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, राजस्व वाद संख्या 21/2002</u>

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

उपस्थितः–

1. श्री नौरतमल जैन, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री अजीतसिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3.
3. श्री आर.पी.शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 5.
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 4.

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांकः–08.02.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा वाद संख्या 21/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2004 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण अपीलार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद बाबत बटंवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा आज्ञा घोषणा की अज्ञाप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अपीलार्थीगण वादीगण के द्वारा राजस्व वाद संख्या 14/2002 प्रस्तुत किया गया एवं रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन प्रतिवादीगण के द्वारा भी विवादित भूमि के संदर्भ में राजस्व वाद संख्या 21/2002 प्रस्तुत किया गया कि जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दोनों वादों को कन्सोलिडियेट कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जो पारित किए गए जो कि राजस्व रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य के विपरीत एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल पारित किए गए कि जिसे अनुसार वादीगण अपीलार्थीगण का वाद 14/2002 के अनुसार वादीगण अपीलार्थीगण को मात्र खसरा नम्बर 751 में से 1/2 हिस्सा के बंटवारा के संदर्भ में वादीगण अपीलार्थीगण के वाद को स्वीकार किया गया एवं शेष खसरा नम्बर 264, 272, 273, 274 एवं 309 के संदर्भ में वादीगण अपीलार्थीगण का वाद निरस्त किया गया तथा प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन के द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 21/2002 को स्वीकार किया गया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 30.1.2004 को जो पारित किए गए विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत एवं मौखिक साक्ष्य तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के विपरीत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जो पारित किए गए निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा वाद संख्या 21/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2004 से असंतुष्ट होकर अपीलांट यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वाद पत्र 14/2002 एवं 21/2002 में जो विवाद बिंदु कायम किए गए कि जिसके अनुसार वाद संख्या 14/2002 में पांच विवाद बिंदु कायम किए गए एवं वाद संख्या 21/2002 में विवाद बिंदु सात कायम किए गए परंतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में दोनों ही वादों में कायम की गई तनकियात के संदर्भ में तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया एवं दोनों ही वादों मे तनकियात के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई विवेचन ही नहीं किया गया ऐसी स्थिति में आदेश 5 नियम 14 के प्रावधानों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को दोनों ही वादों में कायम की गई तनकियात का निर्णय किया जाना विधि संगत था इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कायम की गई तनकियात का कोई निर्णय ही नहीं किया गया इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री आदेश की परिभाषा में नहीं है इस कारण भी अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 14/2002 को सम्पूर्ण प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस संख्या एक से तीन के विरूद्ध डिक्री पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

किया जाना चाहिए था एवं साथ ही प्रतिवादीगण रेसपोडेंट संख्या एक से तीन का वाद संख्या 21/2002 कि जिसमें रेसपोडेंट संख्या एक से तीन वादी है का वाद निरस्त किया जाना चाहिए था। वादीगण अपीलार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेज प्रदर्श-1 वर्किंग जमाबंदी, प्रदर्श-2 वर्किंग जमाबंदी, प्रदर्श-3 लगान मांग पर्ची, प्रदर्श-4 नक्शा प्रदर्श-5 खसरा संख्या 2047 से 2050 प्रदर्श-6 खसरा संख्या 2043 से 2046 प्रदर्श-8 खसरा संख्या 2051 से 2054 प्रदर्श-9 चौसाला जमाबंदी संख्या 2023 से 2026 प्रदर्श-10 जमाबंदी चौसाला 2014 से 2017 प्रदर्श-11 अंतिम चौसाला जमाबंदी संख्या 2022 से 2025 एवं प्रदर्श-12 वर्किंग जमाबंदी प्रदर्श-13 पर्चा सैटलमेंट, प्रदर्श-14 लगान रसीद प्रदर्श -15 मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किए गए एवं राजीनामा जो दिनांक 18-4-1991 भी प्रस्तुत किया गया एवं मौखिक साक्ष्य में पी-डब्ल्यू एक वादी रामपाल, जो दिनांक 18.4.1991 भी प्रस्तुत किया गया एवं मौखिक साक्ष्य में पी-डब्ल्यू एक वादी रामपाल, तथा पी-डब्ल्यू-2 गवाह ओंकार के भी बयान करवाए गए परंतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्व वाद संख्या 14/2002 का निर्णय में उक्त दस्तावेज के संदर्भ में किसी प्रकार का विवेचन ही नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन के वाद संख्या 21/2002 में प्रस्तुत बैनामा प्रदर्श-1 दिनांक 16-7-61 एवं प्रदर्श -2 फसली 1360 एवं 1361 तथा मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 3 एवं वर्किंग जमाबंदी प्रदर्श 4 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 21/2002 को स्वीकार किए जाने का मात्र आधार प्रदर्श 1 दस्तावेज बैनामा दिनांक 16.7.61 को आधार मानते हुए वाद संख्या 21/2002 को डिक्री किया गया जबकि प्रदर्श संख्या 1 बैनामा दिनांक 16.7.61 जो कि श्री मेघसिंह सुपुत्र श्री भूरसिंह के द्वारा करवाया जाना दर्शाया जबकि विवादित भूमि के खातेदार श्री मेघसिंह सुपुत्र श्री भूरसिंह प्रदर्श 1 बैनामा दिनांक 16.7.61 को खातेदार नहीं थे और उनका कब्जा भी नही था, ऐसी स्थिति में श्री मेघसिंह सुपुत्र श्री भूरसिंह के द्वारा किया गया बैनामा प्रदर्श 1 दिनांक 16.7.61 जो कि स्वतः ही शून्य ही था, जिसे दिवानी न्यायालय के समक्ष चुनौति दिए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता कारण कि श्री मेघसिंह सुपुत्र श्री भूरसिंह विवादित भूमि के खातेदार नहीं थे एवं विक्रय के रोज श्री मेघसिंह का कब्जा ही नही था ऐसी स्थिति में श्री मेघसिंह के द्वारा किया गया बैनाम प्रदर्श 1 स्वतः ही शून्य है जिसे दिवानी न्यायालय के समक्ष चुनौति देने का कोई आधार ही नहीं है परंतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मात्र वाद संख्या 21/2002 में डिक्री प्रदर्श 1 बैनामा दिनांक 16.7.61 के आधार पर जो पारित की गई जो कि विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल है कारण कि श्री मेघसिंह सुपुत्र श्री भूरसिंह जो कि खेवटदार थे, जिसकी पुष्टि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 2 खेवट 1360 से 1361 फसली के अनुसार भी श्री मेघसिंह सुपुत्र श्री भूरसिंह खेवटदार थे, जिनकी खेवटदारी एवं जागीरदारी हक समाप्त हो चुके थे एवं विवादित भूमि पर काबिज चौसाला जमाबंदीया जो कि प्रदर्श 9,10,11 के अनुसार काबिज श्री तेजू पुत्र देवा एवं अपीलार्थीगण के पिता नाग्या एवं रेसपोडेंट संख्या एक से तीन के पिता रामकरण ही काबिज थे इस कारण खातेदारी हक प्रदर्श संख्या 9,10,11 के अनुसार तेजू सुपुत्र श्री देवा को प्राप्त हो चुके थे ऐसी स्थिति में खेवटदार श्री मेघसिंह सुपुत्र श्री भूरसिंह के द्वारा निष्पादित बैनामा प्रदर्श संख्या एक दिनांक 16.7.61 का श्री मेघसिंह को इस प्रकार का बैनामा किए जाने का कोई वैधानिक अधिकार ही नहीं था परंतु अधीनस्थ न्यायालय के

Scanned with CamScanner

द्वारा मात्र प्रदर्श 1 बैनामा जो कि प्रारम्भ से ही शून्य है को आधार मानकर वाद संख्या 21/2002 को डिक्री किए जाने में एवं वाद संख्या 14/2002 को खसरा संख्या 751 को छोडकर शेष भूमि के लिए वाद निरस्त किए जाने में भारी कानूनी भूल की है। रेसपोडेंट संख्या एक से तीन के द्वारा बैनामा प्रदार्श संख्या 1 दिनांक 16.7.61 कि जिसमें खसरा नम्बर पुराना 360 दर्शाया गया जबकि खसरा नम्बर 360 से विवादित भूमि से कोई वास्ता ही नहीं है जबकि खसरा नम्बर पुराना 306 के नीवन खसरा नम्बर 309 बन है परंतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वाद संख्या 21/2002 में भी खसरा नम्बर पुराना 306 के हाल खसरा नम्बर 309 की भी डिक्री वाद संख्या 21/2002 में पारित की गई जबकि खसरा संख्या पुराना 306 के नवीन खसरा नम्बर 309 बने है परंतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वाद संख्या 21/2002 में भी खसरा नम्बर पुराना 306 के हाल खसरा नम्बर 309 की भी डिक्री वाद संख्या 21/2002 में पारित की गई जबकि खसरा संख्या पुराना 306 रेसपोडेंट संख्या एक से तीन एवं उनके पिता श्री रामकरण के पक्ष में प्रदर्श 1 बैनामा दिनांक 16.7.61 में उल्लेख ही नहीं है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा खसरा नम्बर पुराना 306 के हाल खसरा नम्बर 309 के संदर्भ में वाद संख्या 21/2002 के अंतर्गत पारित आदेश भी विधि विरूद्ध है जबकि प्रदर्श 1 बैनामा दिनांक 16.7.61 जो कि प्रारम्भ से ही शून्य है को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वाद संख्या 21/2002 का आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। विवादित भूमि के 1/2 हिस्से पर वादीगण अपीलार्थीगण पुश्तैनी समय से काबिज है तथा 1/2 हिस्से पर रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन का कब्जा है इस संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत जो कि वाद संख्या 14/2002 पर प्रस्तुत किए गए से बखूबी साबित है के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जो पारित किए गए कि जिससे पक्षपात लिए जाने की झलक प्रतीत होती है। गांवाई राजीनामा दिनांक 18.4.1991 के अनुसार भी रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन के द्वारा भी यह स्वीकार किया गया कि विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा वादीगण अपीलार्थीगण का है एवं काबिज है तथा 1/2 हिस्सा पर रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन का कब्जा होना स्वीकार किया जो कि ग्राम वासियान मोतबिरान व्यक्तियों की मौजूदगी में राजीनामा किया गया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश व डिक्री जो कि विधि संगत नहीं है एवं प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत तथा विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य हैं। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 21/2002 में पारित आदेश निर्णय व डिक्री दिनांक 30.1.2004 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं 1994 आर आर डी पेज 616, 2000 आर बी जे पेज 497, 1997 आर बी जे पेज 603, 1998 आर बी जे पेज 184, 2004 आर बी जे पेज 567।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 03 ने दौरान जवाब बहस में कथन किया कि विवादित आराजी रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के पिता श्री रामकरण ने तत्कालीन खातेदार श्री मेघसिंह से 1961 में क्रय की थी। रामकरण की मृत्यु के बाद रेस्पोडेंट खातेदार काबिज हैं दौरान बंदोबस्त अधिकारियों ने गैर कानूनी तरीके से मांग्या पुत्र रामा का नाम भी रामकरण के साथ अंकित कर दिया जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

गांव में नहीं था इसकी दुरूस्ती नामांतरकरण संख्या 40 दिनांक 26.12. 2001 द्वारा की गई गलत प्रविष्टि का अपीलांट नाजायज फायदा चाहते है। विवादित भूमि अकेले रामकरण द्वारा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया गया अब उसके वारिस काबिज है और संपूर्ण भूमि के मालिक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों वाद कन्सोलिडेट कर कर उचित व विधीसंगत निर्णय किया है। अतः अपील निरस्त योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अपील अपीलांट खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न कानूनी दृष्टांत पेश किए हैं आर.आर.डी 1997 पेज 175, 1984 पेज 215 1997 पेज 60 1969 पेज 235, 1993 पेज 44 व 1961 आई.एल.आर पेज 1173।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 5 परियोजना निर्देशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग पी.आई.यू. अजमेर ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 03 के द्वारा दुर्भीसंधी की गई है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष चलने योग्य नही है इसलिए खारिज फरमायी जावे।

7. हमनें उभयपक्षों द्वारा कि गई बहस पर मनन किया तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि खाता संख्या 79 के खसरा नम्बर 269, 270, 271, 306 कुल किता 4 कुल रकबा 12–14–00 बीघा संलग्न खेवट सन फसली 1360 लगायत 1361 में मेघसिंह पुत्र श्री भूरसिंह जाति राजपूत के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजीयात रही है सरकारी खातेदार काश्तकार श्री मेघसिंह से जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र 24.4.1961 को रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के पिता श्री रामकरण ने क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया उक्त विकय दस्तावेज उप–पंजीयक अजमेर द्वारा पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 78 क्रमांक 986 पेज 253 से 255 पर दिनांक 10.7. 1961 को पंजीक्रत किया गया साबिक खसरा नम्बर 269 रकबा 4–15–10 बीघा से हाल खसरा नम्बर 264 रकबा 2–18–10, खसरा नम्बर 273 रकबा 1–17–00 बीघा बने हैं साबिक खसरा नम्बर 270 रकबा 2–7–10 बीघा के हाल खसरा नम्बर 272 रकबा 2–7–10 बीघा साबिक खसरा नम्बर 271 रकबा 3–17–10 बीघा के हाल खसरा नम्बर 274 3–17–10 बीघा साबिक खसरा नम्बर 306 रकबा 1–13–00 बीघा बने हैं। पंजीकत विकय पत्र में साबिक खसरा नम्बर 306 रकबा 1–13–00 बीघा के स्थान पर खसरा नम्बर 360 अंकित हो गया परंतु रकबा 1–13–00 बीघा सही अंकित किया गया है। इसी कारण वर्किंग जमाबंदी में साबिक खसरा नम्बर 306 के हाल खसरा नम्बर 309 रकबा 1–13–00 बीघा अंकित किया गया है। अपीलाधीन आराजीयात रामकरण ने अकेले जरिए पंजीकत विकय पत्र कय कर कब्जा एवं दखल प्राप्त किया था किंतु दौराने बंदोबस्त भूप्रबंध अधिकारियों ने गैर कानूनी रूप से मांगया पुत्र रामा का नाम रामकरण के साथ अंकित कर दिया नामांतकरण संख्या 34 दिनांक 8.10.2001 के तहत मांगया पुत्र रामा की विरासत मु0 राधा बेवा मांगया, रामपाल पुत्र मांगया के नाम तस्दीक किया गया तत्पश्चात नामांतकरण संख्या 40 दिनांक 26.12. 2001 से मांगया पुत्र रामा की दुरूस्ती की जाकर नांग्या पुत्र रूपा दर्ज कर दी गई जबकि मांग्या अथवा नांग्या का विवादित भूमि से कोई लेना देना नहीं है ना ही वे कभी काबिज रहे हैं। मात्र भूप्रबंध विभाग द्वारा दौराने बंदोबस्त गलत प्रविष्टि की गई है। उक्त आधार पर स्पष्ट है कि

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

वर्तमान रेस्पोडेंट सख्या 1 लगायत 3 के पिता रामकरण द्वारा तत्कालीन खातेदार मेघसिंह से अपीलाधीन आराजीयात जरिए पंजीकत विक्रय पत्र खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है इसके विपरीत वर्तमान अपीलांट किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं कर पाया है कि किसी विधिक आधार पर अपीलाधीन आराजीयात में उनके पूर्वज मांग्या अथवा नांग्या का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया स्पष्टतया राजस्व रिकार्ड में मांग्या अथवा नांग्या का नाम दौराने बंदोबस्त भूप्रबंध अधिकारियों द्वारा गलत रूप से प्रविष्ट किया गया था, जबकि बंदोबस्त विभाग को इंद्राज बदलने का कानूनन कोई हक व अधिकार नहीं है एवं उक्त गलत इंद्राज़ के आधार पर अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। उक्त आधार पर अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा वाद संख्या 21/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2004 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner